

श्रीमान्जी



1 निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

57/18.518  
2019/00115

2 प्रार्थी-वसीयतकर्ता श्री सुरजाराम पुत्र श्री बस्तीराम निवासी चक 58 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत एक बन्द वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखा जावे।

3 प्रार्थी को गवाह श्री रामरतन पुत्र श्री देवीलाल एवं श्री श्रीराम पुत्र कालूराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है एवं वकालतनामा पेश किया है।

4 अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा सेफ कस्टडी में रखे जाने के आदेशार्थ प्रस्तुत है।

5. जिला पंजीयक महोदय

18/11/18

16. पंजीयक

18/11/18